

प्रेषक,

राम सिंह,  
प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सदस्य सचिव,  
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,  
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर,  
नैनीताल।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 30 सितम्बर, 2015

विषय- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीनस्थ समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के कार्यालय हेतु 01-01 पद अनुसेवक (कुल 13 पद) का सृजन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-82/I-i-1/उ0रा0वि0से0प्रा0/2014 दिनांक 24.04.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, मा0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीनस्थ समस्त 13 जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी बहुकार्यकर्ता के रूप में आउट सोर्सिंग के माध्यम से कुल 13 कार्मिक नियोजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय व्ययक के अनुदान सं0-04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-06-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण-00" के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-112 NP/XXVII(5)/2015 दिनांक 24.09.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(राम सिंह)  
प्रमुख सचिव

संख्या-281(U)/XXXVI(1)/2015-184/2001 T.C.-I तददिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय भवन, माजरा, देहरादून।
- 2- महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- 3- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/समस्त सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
- 4- वित्त अनुभाग-5/कार्मिक अनुभाग/एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महेश चन्द्र कौशिवा)  
अपर सचिव